

मुद्रा वाद में वकीली

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादशा

(पीठरीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठरीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर०ए०एस०

उपवाचन

..... नाम
..... नाम
..... नाम

दावा वाक्य :- ... 88 RINA ...

मुकदमा नम्बर :- ... 331/2021 ...

निर्णय दिनांक :- ... 11-11-2021 ...

वादी की ओर से वकील शुभल चौधरी की व प्रतिवादी सं० 1/2/3 की ओर से वकील शुभल चौधरी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 11-11-2021 को मुद्रा शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादशा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि शुभल चौधरी पक्ष शुभल चौधरी के खाता सं० 33/185 के मु० नं० 62 के जिला नं० पता 7, पता 17, 24, 25 मु० नं० 63 जिला नं० 1, 2, 3, 8 ता 13, 18 ता 25 मु० नं० 76 जिला नं० 1 ता 13 मु० नं० 77 जिला नं० पता 7, पता 17 कुल 12-6500 हे० कारीनी रुमि मुनि प्रतिवादी सं० के नाम शुभल चौधरी के खाता सं० 233/245 के मु० नं० 7 जिला नं० 2 ता 3, 12 ता 13, 22 ता 25 मु० नं० 8 जिला नं० 1 ता 4, 7 ता 14, 17 ता 24 मु० नं० 14 जिला नं० 1 व 2 मु० नं० 15 जिला नं० 5 मु० नं० 264 जिला नं० 11 ता 14, 18 ता 23, मु० नं० 265 जिला नं० 13 ता 13, 22 ता 25 मु० नं० 266 जिला नं० 2 ता 3 मु० नं० 267 जिला नं० 1 ता 3, 8 ता 10 कुल 13-3870 हे० कारीनी रुमि मुनि प्रतिवादी सं० के नाम 6660/13387 हिस्सा दफ्तरे में से प्रतिवादी संग वगवारी लाव का नाम कलमपान, मिना जाकर वादी व प्रतिवादी सं० 2 ता 4 के हिस्सा कारावर के खातेदार का 2 ता 4 वां बिल मिले जाते हैं मुनि प्रतिवादी सं० 5 ता 7 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं० 2 ता 4 के पक्ष में त्याग कर दिया है इसलिए तमाम बिल जो हिस्से पर पंजीमन अन्त कर लेने व हक दाता हकप्राप्त होने के उपरान्त ही सुपस्थित 18 खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 11-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
(सिविल प्रभारी)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
प्र.गा. के संग अ-2021
भादशा, जिला हनुमानगढ़
2-11-21